

11.11.2017

परिवादी द्वारा श्री अरविंद सिंह भदौरिया अधिवक्ता।

अभियुक्त सियानंद का पूर्व नियत दिनांक को गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था, परंतु उक्त वारण्ट आज दिनांक को आरक्षी केन्द्र कोतवाली की ओर से इस टीप के साथ प्राप्त हुआ है कि अभियुक्त की लिखित पते पर तलाश की गई, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। अभियुक्त के वारण्ट के साथ तश्दीक पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। वारण्ट पर लगाई गई टीप लोक सेवक द्वारा लगाई गई है, जिसके संबंध में अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी वारण्ट जारी किये गये हैं, परंतु उक्त वारण्ट तामील/अदम तामील उपरांत वापस प्राप्त नहीं है। ऐसा दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहा है।

परिवादी की ओर से मौखिक रूप से व्यक्त किया गया है कि प्रकरण पुराना है और अभियुक्त को उपस्थिति हेतु वारण्ट जारी होने के पश्चात भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त के स्थाई वारण्ट जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित है। अभियुक्त की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। अतः अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है और अभियुक्त सियानंद ओझा पुत्र सुखदेव ग्राम चंदूपुरा थाना देहात भिण्ड के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे, उसकी उपस्थिति के पश्चात प्रकरण में विचारण प्रारम्भ किया जावे। अभियुक्त गिरफ्तार होने के पश्चात प्रकरण में पेश होने पर परिवादी को सूचित किया जाये।

प्रकरण को इस नोट के साथ अभिलेखागार भेजा जावे कि अभियुक्त का विचारण शेष है, प्रकरण नष्ट न किया जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(विकाश शुक्ला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

भिण्ड(M0प्र0)